


19/02/2024

पत्रावली पेरा हुई। अधिवक्ता अपीलांट  
एव रेस्पोंडेंट की धरूम पर मनन किया  
गया एव अधीनस्थ न्यायालय की  
तलबगुदा पत्रावली का अवलोकन किया  
गया। पत्रावली का अवलोकन करने  
करने पर पाया कि इस प्रकार के  
संबंध में न्यायालय द्वारा इस प्रकार  
संख्या 01/2019 अनवान विक्रम वनाम  
गौरीशंकर आदि में दिनांक 30/07/2020  
की निर्णय पारित किया गया। न्यायालय  
द्वारा पारित निर्णय में नामान्तरण  
संख्या 1072 शेही मॉजा रामकां वदसील  
शवत्सर की अधारत किया गया।  
इस निर्णय की पालना में वदसीलदार  
पल्लु द्वारा नामान्तरण संख्या 1072।  
दिनांक 01/06/2023 दर्ज किया गया।

कदमा नं०	सन	अनवान	बनाम
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>भापालम हाजा द्वारा जारी निर्णय की अधील इस भापालम में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।</p> <p>अतः अधील अधीलांत खारिज की जाती है। अधीनस्थ भापालम की तलबमुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सलाह कर लॉटर्डि जाके। पत्रावली पुस्तकालय लेकर भंडार से कम लेकर खोजिल दफ्तर हो।</p>		
	<p style="text-align: center;">   <b>अतिरिक्त जिला कलक्टर</b>            मोहर (हनुमानगढ़)         </p>		